कार्यालय–प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून।

E-Mail ID: nodalofficerddn@gmail.com,Phone/Fax: 0135 2767611

पत्रांक–1789/12–1 देहरादूनः दिनांकः 5 – ~~दिसम्बर,~~ जनवरी 2025

सेवा में,

उप वन महानिदेशक (केन्द्रीय),
पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, 25–सुभाष रोड़, देहरादून।

विषयः– **जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रिखाड़ी–बाछम मोटर मार्ग के किमी0 40 से कुवारी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 19.084 है0 वनभूमि का गैरवानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के सम्बन्ध में।**
(Online Proposal No. FP/UK/ROAD/23224/2016)

सन्दर्भ :– भारत सरकार की पत्र संख्या 8बी./यू.सी.पी./06/159/2019/एफ0सी0/1314 दिनांक 30–04–2020।

महोदय,

प्रकरण में प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग द्वारा सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या अपने पत्रांक 1173/12–1–2 दिनांक 20–09–2024 एवं पत्रांक 1740/12–1–2 दिनांक 13–11–2024 से वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा को प्रेषित की गई है जिसे वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा द्वारा अपने पत्रांक 1272/12–1(2) दिनांक 25–11–2024 से इस कार्यालय को निम्नानुसार प्रेषित की गई है–

क्र० सं०	सैद्धान्तिक सवीकृति में अधिरोपित शर्त	अनुपालन आख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि विधिक परिस्थिति नहीं बदले जाने हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाने पर प्रयोक्ता एजेन्सी सहमत है।
3	प्रतिपूरक वनीकरणः–	
	(क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 38.168 है० अवनत वन भूमि धाकुड़ी क0सं0 10,13,14 एवं 15 व लीती क0सं0 15 एवं 16 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचे	(क) प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 38.168 है० अवनत वन भूमि धाकुड़ी क0सं0 10,13,14 एवं 15 व लीती क0सं0 15 एवं 16 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा एवं उक्त क्षेत्रों में स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों के लगाया जाएगा जिससे प्रजातियों की एकल कृषि से बचा जा सकेगा।

4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तम्भन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रुप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किये जा सकते हैं।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक अनुरक्षण हेतु आवश्यक धनराशि रू0 1,28,69,639.00 (एक करोड़ अठाईस लाख उन्हत्तर हजार छः सौ उन्तालीस) मात्र जमा कर दी गई है। ऑनलाईन जमा की गई धनराशि के चालान की प्रति संलग्न है। **(संलग्नक–1)**
5	**शुद्ध वर्तमान मूल्य**	
	(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्राक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 19.084 है० वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्या 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्राक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार को एन0पी0वी0 की धनराशि रू0 1,33,39,716.00 (एक करोड़ तैंतीस लाख उन्तालीस हजार सात सौ सोलह) का 19.084 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) ऑनलाईन जमा कर दिया गया है। **(संलग्नक–1 के अनुसार)**
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अमिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र से प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा एन0पी0वी0 की बढ़ी हुयी धनराशि जमा किये जाने सम्बन्धी बचनबद्धता का प्रमाण पत्र संलग्न कर प्रेषित किया गया है **(संलग्नक–2)**
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में वृक्षों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 782 होगी एवं वृक्ष राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अनुपालन में 782 वृक्ष से अधिक का पातन नहीं किया जायेगा। पेड़ों की कटाई में आने वाले व्यय का वहन प्रयोक्ता ऐजेंसी द्वारा किया जायेगा जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण समहत है।
7	The DFO will submit an undertaking that no plantation has been done in the past in CA Area.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त क्षेत्र में पूर्व में किसी योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नहीं किया गया है। **(प्रमाण–पत्र संलग्न– 3)**

8	State Govt. inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidlines para 11.2. The state govt will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि गाईडलाइन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति राज्य सरकार को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी और यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांक से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा कोई और गतिविधि नहीं की जाएगी के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत हैं (शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।)
9	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/जमा किए जाएंगे।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा धन ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानांतरित/जमा किया गया है।
10	एफ0आर0ए0, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। एफ0आर0ए0 के अनुपालन हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। **(संलग्नक–4)**
11	प्रयोक्ता अभिकरण आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों ओर उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण आई0आर0सी0 मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों ओर उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाने पर सहमत है। **(संलग्नक–5)**
12	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गाति विनियमन साइनेज लगाए जाएगें।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगााने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
13	सी.डब्ल्यू.एल.उब्ल्यू./एन.बी.उब्ल्यू.एल. एफ.ए.सी./आईआर.सी. की शिफाारिशों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र घ्वन क्षेत्र में उपयुक्त अण्डर/ओवर पास प्रदान करेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण सी. डब्ल्यू.एल.उब्ल्यू./एन.बी.उब्ल्यू.एल. एफ.ए.सी./आई. आर.सी. की शिफाारिशों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र घ्वन क्षेत्र में उपयुक्त अण्डर/ओवर पास प्रदान करने पर सहमत है।
14	पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि पर्यावरण संरक्षण

	पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो प्राप्त करेगा।	अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा के क्रम में पूर्व से ही प्रारूप सं0–54 संलग्न किया गया है जिसके अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।
15	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
16	वन भूमि पर काई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
17	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय दन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषत वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषज्ञ वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
18	संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर0सी0सी0 पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त अवगत कराया गया है कि उनके निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
19	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर या कोई अतिरिक्त मार्ग नहीं बनाया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
20	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किये जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
21	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
22	केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि केन्द्र सरकार की

	किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।	पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा, जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
23	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाही होगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि इनमें से किसी भी शर्त का उल्ल्घन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017 FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार ही कार्यवाही होगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
24	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा उपरोक्त संदर्भित पत्र के द्वारा अवगत कराया गया है कि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होगी जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
25	अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल https://parivesh-nic/in पर अपलोड की जाएगी।	अनुपालन रिपोर्ट ई–पोर्टल http://parivesh.nic.in पर अपलोड की जायेगी। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

अतः उपरोक्त प्रकरण में उपरोक्तानुसार प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा प्रेषित सूचना के कम में वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 यथा संशाधित 2023 के अन्तर्गत विधिवत् स्वीकृति निर्गत करने हेतु भारत सरकार को प्रेषित करने का कष्ट करें।

संलग्नक– उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(आर०के० मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संख्या 1789 /12–1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– वन संरक्षक, उत्तरी कुमांऊ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(आर०के० मिश्र)
प्रमुख वन संरक्षक,
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

117

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखंड, अल्मोड़ा।
Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , ☎ (05962) 231099 Fax : 230397
पत्रांक – 1272 / 12–1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, 25|11| 2024.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :– **जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रिखाड़ी–बाछम मोटर मार्ग के कि0मी0 40 से कुवारी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 19.084 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।**
(प्रस्ताव सं0–FP / UK / ROAD / 23224 / 2016)

सन्दर्भ :– **भारत सरकार का पत्रांक सं0 08 बी / यू0सी0पी0 / 06 / 159 / 2019 / एफ0सी0 / 14 दिनांक 30.04.2020**

महोदय,

उपरोक्त विषयगत संदर्भित प्रकरण मे प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग, बागेश्वर के पत्रांक 1740 / 12–1(2) दिनांक 13.11.2024 द्वारा जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रिखाड़ी–बाछम मोटर मार्ग के कि0मी0 40 से कुवारी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 19.084 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव प्रेषित किया गया है। प्रस्ताव मे सैद्वान्तिक स्वीकृति मे अधिरोपित शर्तों का अभिकरण द्वारा बिन्दुवार अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित की गई है। जिसे मूल तीन प्रतियों मे आपको सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है। कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

संलग्न– तीन प्रतियों में।

स0अधिप्रभा0 बागेश्वर
आ0 भा0 जि0
प्र0 व0 स0 / नो0अधि0
30-11-2-24

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी
संरक्षण भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, उत्तराखण्ड
देहरादून
पत्रांक सं0 2112
पत्रावली 12-1
दिनांक 7-12-24

भवदीय

(डॉ धीरज पाण्डेय)
मुख्य वन संरक्षक / वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

अग्रिहस्ती 14 NOV 2024

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com/dfobageshwar03gmail.com
दूरभाष नं0:– 05963-220249 फैक्स नं0:– 05963-220209

पत्रांक 1740 / 12-1-2 बागेश्वर दिनांक : 13 / 11 /2024

सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय :– **जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रिखाड़ी–बाछम मोटर मार्ग के कि0मी0 40 से कुवारी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 19.084 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/23224/2016)**

सान्दर्भः– आपका पत्रांक 848 / 12–1(2) दिनांक 03.10..2020 ।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम उक्त प्रस्ताव में लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर प्रस्ताव पुनः आवश्यक अग्रिम कार्यावाही हेतु सेवा मे सादर प्रेषित।

संलग्न– चार प्रति।

भवदीय,

(ध्रुव सिंह मर्तोलिया)
प्रभागीय वनाधिकारी,
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Nodal adikari

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.com/dfobageshwar03gmail.com
दूरभाष नं0:– 05963-220249 फैक्स नं0:– 05963-220209

पत्रांक 1173 / 121-2 बागेश्वर दिनांक : 20/09/2024
सेवा में,

वन संरक्षक,
उत्तरी कुमाऊँ वृत्त,
उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय :– **जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रिखाड़ी–बाछम मोटर मार्ग के कि0मी0 40 से कुवारी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 19.084 है0 वनभूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। (प्रस्ताव संख्या–FP/UK/ROAD/23224/2016)**

सन्दर्भः– भारत सरकार का पत्रांक सं0 08बी / यू0सी0पी0/06/159/2019/ एफ0सी0 / 14 दिनांक 30.04.2020।

महोदय,

भारत सरकार पर्यारण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रिखाड़ी–बाछम मोटर मार्ग के कि0मी0 40 से कुवारी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 19.084 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन करने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई है :–

क0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या
1	2	3
1	वन भूमि विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	वन भूमि विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद की वन भूमि सौंपी जाएग्गी	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद की वन भूमि सौंपी जाएगी– प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
3	**प्रतिपूरक वनीकरणः–**	
	क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 38.168 है0 अवनत वन भूमि धाकुड़ी कक्ष सं0–10,13,14 एवं 15 व लीती कक्ष सं0–15 एवं 16 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहाँ तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों के लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से जायें	क) अवनत वन भूमि धाकुड़ी कक्ष सं0–10,13,14 एवं 15 व लीती कक्ष सं0–15 एवं 16 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। उक्त क्षेत्र में स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों के लगाया जायेगा तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचा जा सकेगा
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तम्भन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेत उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण हेतु प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार दस वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुयें यथासंशोधित) रू0 1,28,69,639.00 (एक करोड़ अठाईस लाख उनहत्तर हजार छः सौ उनचालीस) मात्र जमा कर दी गयी है। ऑनलाईन जमा की गई धनराशि के चालान की प्रति संलग्न है। **(संलग्नकः–01)**
5	**शुद्ध वर्तमान मूल्यः–**	
	(क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्याः 202/1995 में IA नं0 556 दिनांक 30.10.2020, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04. 2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक	(क) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्याः 202/1995 में IA नं0 556 दिनांक 30.10.2020, 01. 08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1 / 1998 एफ.सी. (pt.2) दिनांक 18.09.2003ए

	1/1998 एफ.सी. (pt.2) दिनांक 18.09.2003ए 5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2016 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 19.084 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	5–2/2006–एफ0सी0 दिनांक 03.10.2016 एवं 5–3/2007–एफ.सी दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार को रू0 1,33,39,716.00 (एक करोड़ तैंतीस लाख उनचालीस हजार सात सं सोलह मात्र) का 19.084 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) ऑनलाईन जमा करा दिया गया है।
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा।	(ख) प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने प माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमा मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो तो अंतिम रूप देने के बाद दे होने का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। (संलग्न–2)
6	प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 782 होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रभावित होने वाले वृक्षों संख्या प्रस्ताव के अनुसा 782 न्यून्तम वृक्षों के पातन हेतु सहमत है।
7	DFO will sub,it an undertaking that no plantation has been done in the past in CA area.	उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के तहत वृक्षारोपण कार्य नंही किया गया है। (प्रमाण पत्र संलग्न–3)।
8	State Govt. inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2.The State Govt. will strictly monitor and ensure tha no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission	गाईडलाइन्स में दिये गये दिशानिर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिए पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कड़ाई से निगरानी करेगी औ यह सुनिश्चित करेगी कि इस तरह की अनुमति जारी करने की दिनांव से एक वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा को और गतिविधि नहीं की जाएगी के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है (शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।)
9	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकार फड में स्थानांतरित/जमा किए जाएगें।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh.nic.in) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकार फड में स्थानांतरित/जमा किया गया है इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
10	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।	एफआरए 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (संलग्न–4)
11	प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों का संख्या बढ़ाएगा।	आईआरसी मानदंडो के अनुसार सड़क के दोनो किनारों पर पौधों की संख्या बढाने हेतु प्रयोक्ता अभिरण सहमत है। (संलग्न–5)
12	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएगें।	संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
13	सीडब्लयू एलडब्ल्य/एनबीडब्ल्यूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र ध्वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा।	सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू/एनबीडब्ल्यूएल/एफएसी/आरईसी की सिफारिशों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र/वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
14	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति तो प्राप्त करेगा के क्रम मे पूर्व से ही प्रारूप सं0–54 संलग्न किया गया है जिसके अनुसार पर्यावरण स्वीकृति की आवश्यकता नहीं है।

15	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
16	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नही करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
17	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषज्ञ वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईधन के किसी अन्य कानूनी स्त्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषज्ञ वैकल्पिक ईधन दिया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
18	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांक़न किया जाएगा।	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
19	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाय जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
20	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अविधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अविधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष मे मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
21	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किया जायेगा।	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजना हेतु नहीं किया जायेगा, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
22	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगी।	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा, जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
23	इनमें से किसी भी शर्त का उल्ल्धन वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 का उल्लघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017 FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार ही कार्यवाही होगी।	इनमें से किसी भी शर्त का उल्ल्धन वन (संरक्षण) अधिनियम,1980 का उल्लघन होगा एवं पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017 FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार ही कार्यवाही होगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
24	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी।	पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्ते लागू होगी जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
25	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।	अनुपालन रिपोर्ट ई-पोर्टल (https://parivesh.nic.in) पर अपलोड की जायेगी, इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।

संलग्न-चार प्रतियों में

भवदीय,

(ध्रुव सिंह मर्तोलिया)

प्रभागीय वनाधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
ग्रामीण निर्माण विभाग, पी0आई0यू0–2,
पी0एम0जी0एस0वाई0, कपकोट,।

ई–मेलः– eepmgsykapkot@rediffmail.com

पत्रांकः– 376 /ग्रा0नि0वि0/पी0एम0जी0एस0वाई0/वनभूमि2024–25, दिनांक :– 19/09/2024

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी,
वन प्रभाग, बागेश्वर।

विषयः– जनपद बागेश्वर मे प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत रिखाड़ी–वाछम मोटर मार्ग के किमी0 40 से कुँवारी तक मोटर मार्ग (लम्बाई–23.40 किमी0) निर्माण हेतु 19.084 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यार्वतन। (प्रस्ताव संख्या FP/ UK/ ROAD/23224/2016)

सन्दर्भः– भारत सरकार के पत्रांक संख्या 08 बी0/यू0सी0पी0/06/159/2019/एफ0सी0/14, दिनांक 30.04.2020

महोदय,

भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रिखाड़ी–वाछम मोटर मार्ग के किमी0 40 से कुँवारी तक मोटर मार्ग (लम्बाई–23.40 किमी0) निर्माण हेतु 19.084 है0 का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यार्वतन करने के सम्बन्ध में कतिपय शर्तो के अधीन सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत की गई है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में अधिरोपित शर्तो का प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा बिन्दुवार निम्न प्रकार अनुपालन आख्या प्रस्तुत की गई है :–

क्र0 सं0	अधिरोपित शर्त	सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन ऑख्या
1	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।	वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदले जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
2	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।	परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी। जिस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
3	प्रतिपूरक वनीकरणः	
	(क) अवनत वन भूमि कपकोट रेंज धाकुड़ी कक्ष संख्या 10, 13, 14 एवं 15 व लीती कक्ष संख्या 15 एवं 16 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा। जहाँ तक व्यावहारिक हो स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।	अवनत वन भूमि कपकोट रेंज धाकुड़ी कक्ष संख्या 10, 13, 14 एवं 15 व लीती कक्ष संख्या 15 एवं 16 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जायेगा एवं स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाएगा तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचा जा सकेगा।
4	प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर यदि आवश्यक हो तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षो तक अनुरक्षित किया जायेगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते है।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिपूरक वनीकरण हेतु प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरो को समाहित करते हुये यथासंशोधित) रू0 12869639.00 (एक करोड़ अट्ठासी लाख उनहत्तर हजार छः सौ उनतालिस) मात्र जमा कर दी गयी है। ऑनलाईन जमा की गयी धनराशि के चालान के प्रति संलग्न है। (संलग्नः–0)
5	शुद्ध वर्तमान मूल्यः	
	(क) इस सम्बन्ध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556, दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मा0 मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998 एफ0सी0 (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, एफ0सी0 दिनांक 03.10.2016 एवं 5–3/ 2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत 3.15 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के जिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP(C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556, दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003,28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मा0 मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998 एफ0सी0 (Pt.2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ0सी0 एफ0सी0 दिनांक 03.10.2016 एवं 5–3/2007-एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार को रू0 13339716.00 (एक करोड़ तैतीस लाख उनतालीस हजार सात सौ सौलह) मात्र का 19.084 है0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के जिए शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन0पी0वी0) ऑनलाईन जमा करा दिया गया है।
	(ख) विशेषज्ञ समिति से रिर्पोट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जायेगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विशेषज्ञ समिति से रिर्पोट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय होने शपथपत्र प्रस्तुत कर दिया गया है (संलग्न)।

6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा। जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 782 पेड़ से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के स्वच्छ पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जायेगी।	प्रयोक्ता अभिकरण प्रभावित होने वाले वृक्षों जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 782 हैं का ही पातन किया जायेगा एवं पेड़ राज्य वन विभाग के स्वच्छ पर्यवेक्षण में काटे गये है। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा कर दी गयी है।
7	DFO will Submit an undertaking that no Plantation has been done in the past C.A. Area	उक्त सी0ए0 क्षेत्र पर पूर्व में किसी भी अन्य योजना के वृक्षारोपण प्रमाण पत्र संलग्न है।
8	State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before Stage II approval as per guidelins para 11.2 The State Govt. will Strictly monitor and ensure that no further avtivity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission.	गाइडलाईन्स में दिये गये दिशा–निर्देशों के पैरा 11.2 के अनुसार राज्य सरकार विधिवत स्वीकृति से पूर्व वृक्षों के कटान अथवा कार्य प्रारम्भ करने के लिये पारित किये गये आदेश की प्रति इस कार्यालय को प्रेषित करेगी। साथ ही राज्य सरकार इसकी कढ़ाई से निगरानी करेगी और सह सुनिश्चित करेगी की इस प्रकार की अनुमति जारी करने की दिनांक से 01 वर्ष की समाप्ति तक आदेश में उल्लेखित कार्य के अलावा काई और गतिविधि नहीं की जायेगी, के क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है। (शर्त का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा)।
9	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल पर (https://parivesh-nic-in.) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानांतरित / जमा किये जायेंगे।	परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल पर (https://parivesh-nic-in.) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबन्धन और योजना प्राधिकरण फण्ड में स्थानांतरित कर दिया गया है। पत्र संलग्न
10	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला क्लैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जायेगा।	एफ0आर0ए0 2006 का पूर्ण अनुपालन जिला क्लैक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र द्वारा सुनिश्चित कर दिया गया है। पत्र संलग्न
11	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आईआरसी मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढाएगा।	आईआरसी मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढाए जाने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
12	संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर गति विनियमन साईनेज लगाये जायेंगे।	संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर गति विनियमन साईनेज लगा दिये गये है।
13	सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू / एनबीडब्ल्यूएल / एफएसी / आरईसी की सिफारिशों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र ध्वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर / ओवर पास प्रदान करेगा।	सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू / एनबीडब्ल्यूएल / एफएसी / आरईसी की सिफारिशों के अनुसार उपयोगकर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र ध्वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर / ओवर पास प्रदान करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
14	पर्यावरण सरंक्षण अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।	पर्यावरण सरंक्षण अधिनियम 1986 के प्राविधानों के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी है। स्वीकृति पत्र संलग्न।
15	केन्द्र की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा।	केन्द्र की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जायेगा। जिस हेतु प्रयोकता अभिकरण सहमत है।
16	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा।	वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जायेगा। जिस हेतु प्रयोकता अभिकरण सहमत है।
17	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य स्त्रोंत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य स्त्रोंत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया गया है।
18	सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जायेगा।	प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन कर दिया गया है।
19	परियोजना कार्य के निस्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जायेगा।	परियोजना कार्य के निस्पादन के लिये निर्माण सामग्री के परिवहन के लिये वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया गया है।
20	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो लक्षित किया जायेगा।	इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ जो भी कम हो लक्षित कर दिया गया है।
21	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजन हेतु नहीं किया जायेगा।	वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट परियोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी परियोजन हेतु नहीं किया गया है।
22	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियों,	केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेसियों,

DK

	विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की जायेगी।	विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं की गयी है।
23	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्यवाहीं होगी।	इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाईल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार कार्यवाहीं हेतु प्रयोक्ता अभिकरण सहमत है।
24	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंगी।	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्ते लागू होंने पर प्रयोक्ता अभिकरण अनुपालन करने हेतु सहमत है।
25	अनुपालन रिर्पोट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in.) पर अपलोड की जायेगी।	अनुपालन रिर्पोट ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in.) पर अपलोड कर दी गयी है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार – प्रति में।

भवदीय,

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रा0नि0वि0,पी0आई0यू0–II
पी0एम0जी0एस0वाई0,
कपकोट।

भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र)
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाषः 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/159/2019/एफ0सी0 /14 दिनांकः 30/04/2020

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय : जनपद – बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत रिखाड़ी–बाछम मोटर मार्ग के कि0मी0 40 से कुवारी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 19.084 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। **(Online Proposal No FP/UK/ROAD/23224/2016)**

सन्दर्भः अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या– 885/x-4-19/1(106)/2019 दिनांक 09-09-2019

महोदय,

उपरोक्त विषय पर **Online Proposal No FP/UK/ROAD/23224/2016** एवं अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण पर समय–समय पर राज्य सरकार से आवश्यक जानकारियां/दस्तावेज प्राप्त किये गये, जिनके प्राप्त होने के उपरान्त तथा प्रस्ताव पर Regional Empowered Committee (REC) की दिनांक 29, जनवरी 2020 को हुई बैठक में संस्तुति होने के उपरान्त केन्द्र सरकार – **जनपद – बागेष्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत रिखाड़ी–बाछम मोटर मार्ग के कि0मी0 40 से कुवारी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 19.084 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन** किये जाने की **सैद्धान्तिक स्वीकृति** निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती हैः–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति नहीं बदली जाएगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरणः**
   क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 38.168 हे0 अवनत वन भूमि कपकोट रेंज, धाकुड़ी क.स. 10,13,14 एवं 15 व लीती कक्ष स0–15 एवं 16 पर प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल कृषि से बचें।
4. प्रतिपूरक वनीकरण की भूमि पर, यदि आवश्यक हो, तो प्रतिपूरक वनीकरण योजना के अनुसार प्रचलित मजदूरी दरों पर प्रतिपूरक वनीकरण की लागत एवं सर्वेक्षण, सीमांकन और स्तंभन की लागत परियोजना प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से वन विभाग के पास जमा की जाएगी। प्रतिपूरक वनीकरण 10 वर्षों तक अनुरक्षित किया जाएगा। इस योजना में भविष्य में निर्धारित कार्यों के लिए प्रत्याशित लागत वृद्धि हेतु उपयुक्त प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं।
5. **शुद्ध वर्तमान मूल्य**

(क) इस संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के WP (C) संख्याः 202/1995 में IA नंबर 556 दिनांक 30.10.2002, 01.08.2003, 28.03.2008, 24.04.2008 एवं 09.05.2008 तथा मंत्रालय द्वारा पत्रांक 5–1/1998–एफ.सी. (Pt. 2) दिनांक 18.09.2003, 5–2/2006–एफ.सी. दिनांक 03.10.2006 एवं 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 में जारी दिशानिर्देशानुसार राज्य सरकार प्रयोक्ता अभिकरण से इस प्रस्ताव के तहत **19.084** हे0 वन क्षेत्र के प्रत्यावर्तन के लिए शुद्ध वर्तमान मूल्य वसूल करेगी।

(ख) विशेषज्ञ समिति से रिपोर्ट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय हो, को राज्य सरकार द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण से वसूला जाएगा। प्रयोक्ता अभिकरण इसका एक शपथपत्र प्रस्तुत करेगा।

30/04/2020

Scanned with CamSca

6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम कर देगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 782 होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा राज्य वन विभाग के पास पेड़ों की कटाई की लागत जमा की जाएगी।
7. DFO will submit an undertaking that no plantation has been done in the past in CA area.
8. State Govt. will inform to this office if they pass any order for tree cutting and commencement of work before stage II approval as per guidelines para 11.2. The State Govt. will strictly monitor and ensure that no further activity is carried out under such permission after the expiry of one year from the date of issue of such permission
9. परियोजना के तहत प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त धन केवल ई–पोर्टल (https://parivesh-nic-in/) के माध्यम से क्षतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन और योजना प्राधिकरण फंड में स्थानांतरित/ जमा किए जाएंगे।
10. एफआरए, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
11. प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ाएगा।
12. संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।
13. सीडब्ल्यूएलडब्ल्यू / एनबीडब्ल्यूएल / एफएसी / आरईसी की सिफारिशों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण संरक्षित क्षेत्र ध्वन क्षेत्र में उपयुक्त अंडर/ओवर पास प्रदान करेगा।
14. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, उपयोगकर्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।
15. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
16. वन भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
17. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
18. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर भूमि पर सीमांकन किया जाएगा।
19. परियोजना कार्य के निष्पादन के लिए निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
20. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।
21. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
22. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
23. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11–42/2017–FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।
24. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
25. अनुपालना रिपोर्ट ई–पोर्टल (https://parivesh.nic/in/) पर अपलोड की जाएगी।

भवदीय,

30.11.2

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

Scanned with CamSca

संलग्न- 1

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

Email- dfo_bageshwar@rediffmail.comdfobageshwar03@gmail.com
दूरभाष / फैक्स नं0 : 05963–220249 फैक्स नं0 05963–220209

पत्रांक 2965 / 12-1-2 बागेश्वर, दिनांक : 12/05/2020

सेवा में,

अधिशासी अभियन्ता,
पी0एम0जी0एस0वाई,
कपकोट।

विषय – जनपद बागेश्वर में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रिखाड़ी–वाछम मोटर मार्ग के कि0मी0 40 से कुवारी तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 19.084 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग कपकोट को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ – आपका पत्रांक 10/वन भूमि/2020–21 दिनांक 04.05.2020।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के कम में चाही गई सूचना निम्न प्रकार है।

1. भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, देहरादून का पत्रांक 08बी / यू0सी0पी0 / 06 / 159 / 2019 / एफ0सी0 / 14 दिनांक 30.04.2020।
2. उक्त क्षतिपूरक वृक्षारोपण व सड़क के दोनों ओर पथ वृक्षारोपण धनराशि का ऑकलन प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखण्ड देहरादून के पत्रांक क –972 / 3–5–2 दिनॉक 21.11.2017 के द्वारा निंधारित दरो के कम में वर्ष 2020–21 के वसूली वर्ष हेतु किया गया है । अतः उक्त डिमाण्ड नोट ऑन लाईन कर नोडल कार्यालय द्वारा डिमाण्ड नोट सत्यापन के उपरान्त धनराशि नियमानुसार जमा कर इस कार्यालय को अवगत कराने का कष्ट करें।

क0सं0	मद	क्षेत्रफल	ई0को0 क्लास	धनत्व	दर प्रति	जमा की जाने वाली धनराशि
1	एन0पी0वी0	19.084 है0	6	0.2	6,99,000.00	1,33,39,716.00
2	क्षतिपूरक वृक्षारोपण	38.168है0	"–"	"–"	3,37,184.00	1,28,69,639.00

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग,बागेश्वर

"D:\samany 2018-19\land transfer\demand note.docx"

FP/UK/ROAD/23224/2016 Construction of Rikhari-Wachham motor road Km 40 to Kuwari in District-Bageshwar	ROAD232242016861	6123224861	30 Apr 2020	**CA:** 12869639/- , **PCA:** 0/- , **Safety Zone:** 0/- , **NPV:** 13339716/- , **Other Charges1 :** 0/- **Other Charges2 :** 0/- **Other Charges3 :** 0/- **Total :** 26209355/-	**Addl CA :** 0/- **CAT :** 0/- **Addl PA :** 0/- **Other Charges :** 0/-	Paid	**Fund Demand Verified by Nodal Officer On** :14 May 2020 **Bank Name** :Corporation Bank **Mode of Payment** :NEFT/RTGS (Challan) **Challan Generated On** :16 Jan 2021 **Transaction Date** :10 Mar 2021

1-(I)

पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0
पी0 आई0 यू0-II, कपकोट
बागेश्वर

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग
पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0

अधिशासी अभियन्ता
पी0 एम0 जी0 एस0 वाई0
पी0 आई0 यू0 II, कपकोट
बागेश्वर

संलग्न-2

प्रमाण पत्र

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर मे प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत रिखाड़ी–वाछम मोटर मार्ग के किमी0 40 से कुँवारी तक मोटर मार्ग (लम्बाई–23.40 किमी0) निर्माण हेतु 19.084 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यार्वतन। (प्रस्ताव संख्या **FP/UK/ROAD/23224/2016**)

शुद्ध वर्तमान मूल्यों के अतिरिक्त धनराशि जमा करने का प्रमाण पत्र

प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा विशेषज्ञ समिति से रिर्पोट प्राप्त होने पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रत्यावर्तित वन भूमि के शुद्ध वर्तमान मूल्य की अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो, जो अंतिम रूप देने के बाद देय होने पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा करा दिया जायेगा।

कनिष्ठ अभियन्ता, ग्रा0नि0वि0,पी0एम0जी0एस0वाई0, कपकोट।	सहायक अभियन्ता, ग्रा0नि0वि0,पी0एम0जी0एस0वाई0, कपकोट।	अधिशासी अभियन्ता, ग्रा0नि0वि0,पी0एम0जी0एस0वाई0, कपकोट।

Scanned with OKEN Scanner

संलग्न - 3

प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम— जनपद बागेश्वर में प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत रिखाड़ी—वाछम—मोटर मार्ग के किमी0 40 से कुवारी तक मोटर मार्ग (लम्बाई—23.40 किमी0) निर्माण हेतु 19.084 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्ताव संख्या FP/UK/ROAD/23224/2016 में सैद्धान्तिक स्वीकृति की शर्त संख्या 7 के अनुपालन में सी0ए0 क्षेत्र धाकुड़ी कक्ष संख्या 10,13,14 एवं 15 व लीती कक्ष सं0 15 व 16 में कैम्पा क्षतिपूरक योजना के तहत पूर्व में कोई भी वृक्षारोपण का कार्य नहीं करवाया गया है।

वन क्षेत्राधिकारी
पिण्डर वन क्षेत्र
कपकोट

प्रभागीय वनाधिकारी
बागेश्वर वन प्रभाग बागेश्वर

अनुलग्नक - 4

1.6

प्रपत्र–30

Form-I

(for linear Project)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Bageshwar

No---Memo---

Dated---19/12/2016

To WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No- 11-9/ 98 FC(pt) dated 03 Aug, 2009 where in the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dt. 5th Feb, 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 19.084 **hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **PUBLIC WORKS DEPARTMENT** for **Construction of Rikhari-Wachham M/Road Km 40 to Kuwari** in **Bageshwar** district falls within jurisdiction of **Kilpara & Kuwari** village in **Kapkot** Tehsil.

It is further certified that:-

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 19.084 **hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committe(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure 30 to annexure 30-3.

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA I have completed and the Gram Sabha have given their consent to it.

(c) the proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl- As above.

Signature

Dated 19/12/2016

(Mangesh Ghildiyal,)

District Collector जिलाधिकारी

Seal बागेश्वर

(Full name and official seal of the District Collector)

संलग्न-5

प्रमाण पत्र

परियोजना का नामः– जनपद बागेश्वर मे प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना के अन्तर्गत रिखाड़ी–वाछम मोटर मार्ग के किमी0 40 से कुँवारी तक मोटर मार्ग (लम्बाई–23.40 किमी0) निर्माण हेतु 19.084 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यो हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यार्वतन। (प्रस्ताव संख्या **FP/UK/ROAD/23224/2016**)

मोटर मार्ग के दोनों किनारों पर वृक्षारोपण हेतु पौधों की संख्या बढाये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि आईआरसी मानदण्डों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों एवं उसके बीचों बीच पौधों की संख्या बढ़ा दी जायेगी।

कनिष्ठ अभियन्ता,
ग्रा0नि0वि0,पी0एम0जी0एस0वाई0,
कपकोट।

सहायक अभियन्ता,
ग्रा0नि0वि0,पी0एम0जी0एस0वाई0,
कपकोट।

अधिशासी अभियन्ता,
ग्रा0नि0वि0,पी0एम0जी0एस0वाई0,
कपकोट।

DK

Scanned with OKEN Scanner